No. 1/97/2018 -E.III/ 378-80
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Central Water Commission

3rd floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066 Dated:- 08-11-2021

ORDER

In accordance with Ministy of Finance (Department of Expenditure) O.M.No.F.15(3)/78-WIP. dated 31.10.80 sanction is hereby accorded to the payment of Rs. 69,802/- (Rupees Sixty nine thousand Eight hundred two rupees only) Sh. Ram Prasad Meena, Assistnat Executive Engineer, who retired from service on 310/8/2021 towards the full and final payment due under saving component (including interest) of subscription to Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Sh. Ram Prasad Meena, Assistnat Executive Engineer, was a member of CGEGIS,1980 w.e.f.1.1.1987. Subscription for the scheme was recovered from him as per record in service book from 1.1.1987 to 31.12.89 @ Rs. 20/-p.m. from 1.1.1990 to 31.12.2002 @ Rs. 30/- p.m. from 1.1.2003 to 31.12.2018 @ Rs.60/- p.m. and from 1.1.2019 to 31.08.2021 @ 120/- p.m.

The above amount is chargeable to: 8011- Insurance & Pension funds. CGEGIS-1980 (Minor Head) Insurance Fund (Sub Head).

(SEEMA JUNEJA) SECTION OFFICER TEL.011-29583319

0/0

TO

Pay & Accounts Office, CWC, New Delhi.

Copy to:-

- 1. Superintending Engineer, HOC, CWC, Vaishali, Ghaziabad
- 2. Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur (2 Copies)
- 3. Sh. Ram Prasad Meena, AEE, MCSD, CWC, Kota (Retd)
- For Uploading in the CWC, website

सं0 1/97/2018—स्था0 तीन/38/_83 भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय केन्द्रीय जल आयोग

> तीसरी मंजिल, सेवा भवन, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली –66 दिनांक 08, नवंबर 2021

सेवा में

वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।

आदेश

श्री राम प्रसाद मीना, सहायक अधिषासी अभियंता, दिनांक 31/08/2021 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो गये है। सेवानिवृत्ति की तिथि को उनके खाते में 286 दिनों का अर्जित अवकाश एवं 342 दिन का अर्धवेतन अवकाश शेष है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुटटी) नियम, 1972 के नियम 39 (2) के अनुसरण में श्री राम प्रसाद मीना, सहायक अधिषासी अभियंता को 300 दिन के उपलब्ध अवकाश (286 अर्जित + 14 अर्धवेतन) एवज में रू0 11,51,490/— ;रू0 (ग्यारह लाख ईक्यावन हजार चार सौ नब्बे रू0 केवल) की नकद अदायगी करने के आदेश एतद् द्वारा किये जाते हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31/08/2021 को श्री राम प्रसाद मीना, सहायक अधिषासी अभियंता 90000/—रू0 मूल वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे थे ।

यह खर्च मुख्य शीर्ष 2071—Retirement & Pensionary Benefits, 01-Civil, 167- Leave Encashment Benefits हैड के अंतर्गत व्यय होगा ।

संलग्न : सेवा पुस्तिका (कम संख्या-2)

(सीमा जुनेजा) अनुभाग अधिकारी **ं**८

प्रतिलिपि :--

- 1 अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वैशाली, गाजियाबाद।
- 2 अधिषासी अभियंता, चम्बल डिवीजन, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर। (2 प्रति)।
- 3 श्री राम प्रसाद मीना, सहायक अधिषासी अभियंता, एम० सी० एस० डी०, के०ज०आ०, कोटा। (सेवानिवृत्त)
- 4 For uploading on the CWC website